

Government of India
Ministry of Shipping
Transport Bhawan,
No.1, Parliament Street, New Delhi-110001

No.SW-15014/6/2011-FI (Vol.II)

Dated, the 24 March, 2017

Office Memorandum

Subject: Signing of two MoU between India and UAE (i) on the Mutual Recognition of Certificates of Competency of Seafarers and (ii) on Institutional Cooperation on Maritime Transport - regarding.

The undersigned is directed to refer to O.M. No.2/CM/2017(i) dated 20.01.2017 received from the Cabinet Secretariat, conveying therein the approval of the Cabinet for the signing of two MoU with UAE, i.e. (i) MoU on the Mutual Recognition of Certificates of Competency of Seafarers and (ii) MoU on Institutional Cooperation on Maritime Transport and to inform that the said two MoU have been signed on 25.01.2017.

2. A copy each of the MoU are enclosed for information.



(A.K. Singh)

Under Secretary to the Govt. of India

Tele fax No. 2335 2726


Email: sosadesk-ship@nic.in

Encl.: As above

Cabinet Secretariat,
(Kind Attention: Shri S.G.P. Verghese, Director)
Rashtrapati Bhawan,
New Delhi (Fax No. 2379 3504)

Copy to:-

- (i) DG (Shipping) with a copy each of the MoU signed for information.
- (ii) Ministry of Home Affairs (Foreigners Division), [Attention: Shri Prem Babu, Section Officer (F-I)], NDCC-II Building, Jai Singh Road, New Delhi-110001.
- (iii) NIC, Ministry of Shipping - with a request to upload the MoU on the Ministry's web site. Scanned copy of the MoU has been sent an e-mail ID: pravin.s@nic.in.



Memorandum of Understanding (MoU)

between

The Government of the Republic of India

and

The Government of the United Arab Emirates

on

Institutional Cooperation on Maritime Transport

.....

**The Government of the Republic of India and
The Government of the United Arab Emirates**

Without prejudice to existing legislation at both Parties and their obligation towards International Conventions in force both Parties are desirous to sign the following "Memorandum of Understanding" for cooperation in marine transport;

In the common interest of both Parties and desirous of providing a legal foundation for the reciprocal trading relations through shipping with a view to ensuring the freedom of foreign trade and enhancing, to the greatest degree possible, co-operation in this field; recognizing that the bilateral exchange of goods should be accompanied by an effective exchange of services bases upon the principle of competition in service providing;

referring to the international conventions on the safety of navigation, the facilitation of international maritime transport, the living and working conditions of seafarers, the carriage of dangerous goods, and the protection of the marine environment among other concepts;

have agreed as follows:

Article 1
Definitions

For the purposes of this MoU, unless expressly provide otherwise:

- (1) "vessel of a Party" means a vessel which, in accordance with the regulations of such Party, flies its flag and has been entered in a register, except for vessels mentioned in Article 8 of this MoU. For the purpose of this MoU, any vessel flying the flag of a third Party and/or authorised by a shipping company of one of the Parties to this MoU, shall also be deemed to be a "vessel of a Party" during the period of the charter.
- (2) "shipping company" means any legal entity which is licensed to carry international shipping service with its owned and/or authorized vessels and has its headquarters or principal place of business in the territory of either of the Parties to this MoU.
- (3) "seafarer" means the master and any other person who, during the voyage, has duties to perform or services to render on board the vessel and whose name is inscribed on the crew list;
- (4) "competent maritime shipping authority" means:
With regard to:
 - a) The Republic of India, the Ministry of Shipping.
 - b) The United Arab Emirates, the Federal Transport Authority Land & Maritime

Article 2

International conventions

The present MoU shall not affect the rights and obligation of the Parties arising from international conventions or agreements or MoUs at regional or international level to which either of them is a Party, and also does not affect the obligations arising out of any other valid agreements or MoUs signed between the Parties.

Article 3

Freedom of Shipping; non-discrimination

- (1) A vessel of a Party shall be entitled to sail between any of the ports in the territory of either Party that are open to international trade and to carry passengers and cargo between the territories of the Parties as well as between either of these and third Parties subject to domestic law of the Parties.
- (2) The parties, without prejudice to existing legislation at both the Parties, shall refrain from any action that might be detrimental to the unrestricted participation of the shipping companies of the Parties in maritime transport and the principles of non-

discrimination, of free completion, and of the free choice of shipping company shall apply.

Article 4

Measures to facilitate maritime transport

- (1) Within the framework of their legal regime, the Parties shall take all measures necessary to facilitate and promote seaborne transport to avoid any unnecessary prolongation of lay times, and to simplify and expedite, wherever possible, customs and other formalities to be observed in ports as well as to facilitate the use of existing installations for the disposal of wastes.
- (2) The Parties undertake to abolish, upon the entry into force of the present MoU, all unilateral technical and administrative measures that entail restriction of, and have discriminatory effects upon, the free offer of services in international maritime transport subject to domestic laws.

Article 5

Equal treatment of vessels

- (1) Either Party shall grant the vessels of the other Party, when in its ports, territorial waters, or other waters under its jurisdiction, the same treatment as it grants to its own vessels employed in international maritime transport. The application of this principle is limited to the following:
 - the access to ports;
 - the use of port facilities for cargo and passenger transport as well as to the access to any services and other facilities and the departure there from.
- (2) All fees and expenses for services and any other expenses that are to be paid by one of the Parties' ships in the ports of the other Party will be paid in accordance with the legislation in force in that other Party.

Article 6

Commercial activities

- (1) Either Party shall grant the shipping companies of the other Party the right to set up and maintain in its territory branches of their own for the exercise and use of agent's and forwarders' services as well as to enroll administrative, clerical, and technical personnel for these purposes.

- (2) The laws and other regulations of the host Party governing the entry of foreigners and their stay in the territory of the host Party, shall be complied with in the process of setting up the branches and the employment of the personnel.
- (3) Under the provisions of paragraph (2) of this Article, the domestic laws in force in the Parties relating to the entry, abode and repatriation of foreigners shall remain applicable.

Article 7 **Free transfer of monies**

- (1) The Parties undertake to authorize in freely convertible currency, any current payments between nationals and companies of the Contracting Parties connected with international maritime transport, made in accordance with the provisions of the present MoU in conformity with the relevant domestic law as may be applicable.
- (2) The free movement of capital between nationals and companies of the Parties in the form of direct investment made in companies formed in accordance with the laws of the host country, investments made and the transfer abroad of such investments, shall be ensured.
- (3) The Parties shall consult each other with a view to facilitating the movement of capital between them in order to promote the objectives of this MoU.

Article 8 **Exemptions**

- (1) The Provisions of the present MoU shall not apply to the following types of vessels:
 - warships
 - fishing vessels
 - research vessels
 - other vessels used for non-commercial public service.
- (2) The present MoU shall not affect the laws and regulations of either Party concerning the privilege of the national flag with regard to national coastal navigation as well as to salvage, towage, pilotage, and hydrographic services.

Article 9
Compliance with legal provisions

- (1) The crew members of a vessel of either Party during their stay in the territory of the other Party, shall be subject to the laws in force there.
- (2) Passengers and consignors of goods shall comply with the laws and regulations in force in the territory of both Parties governing the entry, stay and departure of passengers as well as the import, storage, and export of goods, including the provisions concerning shore leave, immigration, customs, taxation, and quarantine.

Article 10
Reciprocal recognition of ship's document

- (1) Each Party shall recognize the nationality of vessels of the other Party as indicated in the vessels' documents on board issued by the Competent Authority of the other Party in accordance with its domestic law.
- (2) The other documents on board issued or recognized by a Party shall be recognized by the other Party with respect to the vessels of the former Party.
- (3) Vessels of either Party possessing Tonnage Measurement Certificates issued in accordance with the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, shall not be re-measured in the ports of the other Party.
- (4) Provided that, should the latter Party have reasonable grounds to question the correctness of the said Certificate, the following procedure shall be adopted, namely:
 - (i) the concerned Party shall inform the country whose flag the vessel is flying about the grounds for such suspicion;
 - (ii) the competent authority of the country in which the harbour is situated and which has suspicion may direct a surveyor to give a ruling in accordance with its domestic law, or, if necessary, in accordance with Article 12 of the IMO International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969.

- (5) Each Party shall recognize the identity documents issued by the competent authorities of the other Party to its crew members. The crew list of the vessel will be recognized for the purposes of this MoU only if it is submitted by the Master of the vessel to the concerned Port Authority when the vessel arrives at or visits any port of the other Party. The identity documents so issued are hereinafter referred to as "IDs".
- (6) Each Party shall recognize certificates of competency of crew members issued or recognized by the other Party on the basis of the latter's domestic law and in accordance with the International Convention on Standards of Training, Certification and Watch keeping for Seafarers (STCW 1978/1995), as amended.

Article 11

Travel documents of the members of the crew

- (1) For the members of the crew, whether they are citizens of any of the Parties to this MoU or of a third state, those travel documents issued by the competent authorities that may be used for border crossing under the national prerequisites of the Party the border of which is to be crossed, shall be deemed admissible border-crossing documents. Valid Passport and Seamen Book/Visa are the authorized International travel documents for the seamen while travelling for International voyage.

Article 12

Entry, transit, and stay

- (1) Either Party may, in accordance with the laws and regulations in force in the host country, give permission to those members of the crew of a vessel of the other Party who are holders of a valid border-crossing document within the meaning of Article 11 of this MoU to go ashore and to stay in the area of the port town during the lay time of their vessel.
- (2) Where necessary, the competent authorities of either Party shall, in accordance with the laws and regulations in force in the host country, issue to those members of the crew of a vessel of the other Party who are holders of a valid border-crossing document within the meaning of Article 11 of this MoU, a visa:
 - for the purpose of repatriation;
 - to enable them to go on board own ship or any other vessel authorized by either parties;

- for any other reason deemed accepted by the competent authorities of the other Party.
- (3) The competent authorities of either Party shall permit any member of the crew of a vessel of the other Party who is taken to hospital in the territory of the first Party to stay as long as may be medically necessary for in-patient treatment.
 - (4) Either Party reserves the right to refuse undesirable persons entry into its territory even if such persons hold one of the documents specified in Article 11 of this MoU.
 - (5) Either Party undertakes to take back, without formality, any person having entered the territory of the other Party from board a vessel of the first Party when such person does not meet, or ceases to meet, the conditions of entry or stay applicable in the territory of the other Party.
 - (6) Staff of the diplomatic missions and consular posts of either Party as well as the members of the crews of vessels of such Party shall be entitled, while complying with the relevant laws and regulations in force in the host country, to contact one another and to meet in person.
 - (7) Notwithstanding the provisions of paragraphs (1) to (6) above, the regulations of the Parties governing the entry, stay, and departure of foreigners shall remain unaffected.

Article 13 **Incidents at sea**

- (1) If a vessel flying the flag of either Party is shipwrecked, runs aground, or otherwise suffers distress while in the territorial waters of the other Party, the authorities of the latter Party shall provide to the members of the crew and to the passengers of such vessel as well as to the vessel and its cargo the same protection and assistance as to a vessel flying their own flag.
- (2) In the event of maritime casualty within the meaning of the preceding paragraph, either Party shall refrain from levying import duties and domestic taxes on any of the vessel's cargo or equipment, materials, provisions, or other appurtenances unless any such articles are used or consumed in the territory of the Party concerned and are re-exported to the other party within time period prescribed in the customs law of that party. The competent customs branch office shall be informed, without delay, of the maritime casualty.

- (3) Both Parties undertake to co-operate, upon the request and in accordance with the procedure provided for by their respective national legal provisions to promote vessel safety and the protection of the marine environment, in the investigation of those maritime casualties for which at least one of the Parties has been found to be responsible in terms of the IMO Casualty Investigation Code. Where necessary, such co-operation is in particular intended to facilitate the conclusions as provided for in that Code.

Article 14 **Co-operation**

The Parties shall encourage the shipping companies and the maritime institutions in either country to seek and develop appropriate forms of co-operation. This shall apply, in particular, to technical matters and to the training of specialists.

Article 15 **Consultations**

- (1) Either Party or its competent maritime authorities may request, at any time, working visits or consultations with the other Party or its maritime authority.
- (2) Any such working visit or consultations requested by either Party or its maritime authority should commence within a period of time not exceeding ninety (90) days following the receipt of such request.

Article 16 **Settlement of Disputes**

- (1) Should any dispute arise between the Parties with regard to the interpretation or application of the present MoU, the Parties shall seek to settle such dispute amicably through negotiations between their maritime authorities following a request for consultations.
- (2) The Parties may agree upon a court of arbitration to be instituted.

Article 17
Entry into force

The present MoU shall enter into force on the date on which the Parties have notified each other that their respective national prerequisites for such entry into force have been fulfilled. The relevant date shall be the day on which the last notification is received.

Article 18
Duration of the MoU, amendments and denunciation


- (1) This MoU shall remain in force for an initial period of five (5) years where after it shall be renewed automatically for successive periods of one (1) year, unless terminated by either Party by giving six months written notice in advance through the diplomatic channel of its intention to terminate this MoU.
- (2) Either Party may, following a request for consultations, propose amendments to the present MoU.
- (3) Either Party may, at any time, notify the other Party of its decision to denounce the present MoU. In this event, the MoU shall cease to have effect six months after receipt of such notification by other Party, unless the denunciation has been revoked prior to the lapse of the said period of time.

In witness thereof the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed and sealed this MoU in two originals each in English, Hindi and Arabic languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

Done at New Delhi on 25 January, 2017.



**For the Government of the
Republic of India**



**For the Government of the
United Arab Emirates**

समुद्रीय परिवहन पर संस्थागत सहयोग हेतु

भारत गणराज्य की सरकार

और

संयुक्त अरब अमीरात की सरकार

के बीच

समझौता ज्ञापन

भारत गणराज्य की सरकार और संयुक्त अरब अमीरात की सरकार

दोनों पक्षों के यहां विद्यमान विधान की प्रति तथा प्रवृत्त अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशनों के प्रति उनकी बाध्यकारिता की दृष्टि से बिना किसी पूर्वग्रह के दोनों पक्ष समुद्री परिवहन में सहयोग हेतु अग्रांकि 'समझौता ज्ञापन' पर हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं।

दोनों पक्षों पारस्परिक हित और विदेशी व्यापारी की स्वतंत्रता तथा इसके संभवतम विस्तार तक इसके अभिवर्द्धन, इस क्षेत्र में सहयोग को सुनिश्चित करने की बात को दृष्टिगत रखते हुए नौवहन के माध्यम से पारस्परिक व्यापार संबंधों हेतु एक विधिक आधारशिला, इस बात की मान्यता देते हुए इच्छुक है कि माल के द्विपक्षीय विनिमय के साथ-साथ सेवाओं का कारगर विनिमय हो जो कि सेवा उपलब्ध करवाने में प्रतियोगिता के सिद्धांत पर आधारित हो।

अन्य संकल्पनाओं में से नौचालन की सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन, अंतरराष्ट्रीय समुद्रीय परिवहन की सुविधा, समुद्रकर्मियों के रहने तथा कार्य करने की दशाएं, खतरनाक माल को ले जाना, समुद्रीय पर्यावरण का संरक्षण इसमें शामिल किया गया है, सहमति निम्नोक्त रूप से जताई गई:

अनुच्छेद-1

परिभाषाएं

जब तक कहीं कुछ और स्पष्ट रूप से न कहा गया हो तब कि इस समझौते ज्ञापन के प्रयोजन निम्नवत् होंगे :

(1) 'पक्ष का जलयान', इसका अर्थ उस जलयान से होगा जो इस पक्ष के विनियमों के अनुसरण में हो, जिस पर इसका ध्वज आरोहित हो और जो पंजीकृत हो, इनमें वे जलयान शामिल नहीं हैं जो कि इस समझौते जापन के अनुच्छेद-8 में उल्लिखित नहीं हैं। इस समझौते जापन के प्रयोजनार्थ किसी तृतीय पक्ष के ध्वज वाला और या इस समझौते जापन के पक्षों में से किसी एक को नौवहन कंपनी द्वारा प्राधिकृत जलयान को भी इस चार्टर की अवधि के दौरान 'पक्ष का जलयान' माना जाएगा।

(2) 'नौवहन कंपनी', इसका अर्थ उस विधिसंमत संस्था से होगा जो कि अपने स्वामित्व वाले और या प्राधिकृत जलयानों के साथ अंतरराष्ट्रीय नौवहन सेवा करने के लिए लाइसेंस प्राप्त हो और इसका मुख्यालय या इसके कारोबार का मुख्य स्थान इस समझौते जापन के पक्षों में से किसी के क्षेत्र में स्थित हो,

(3) 'समुद्रकर्मी' इसका अर्थ मास्टर या किसी अन्य उस व्यक्ति से है जो समुद्र यात्रा के दौरान जलयान पर अपनी ड्यूटी या सेवाएं प्रदान कर रहा हो और जिसका नाम कू की सूची में लिखा हो।

(4) 'सक्षम समुद्रीय नौवहन प्राधिकरण', इसका अर्थ:
इनसे संबंधित है :

(ए) पोत परिवहन मंत्रालय, भारत गणराज्य

(बी) फेडरल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी लैंड एण्ड मेरीटाइम, संयुक्त अरब अमीरात

अनुच्छेद-2

अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन

इनमें से किसी भी पक्ष पर क्षेत्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर के अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशनों या करारों या समझौता जापनों के परिणाम स्वरूप पक्षों के अधिकारों तथा उनकी बाध्यकारिता पर वर्तमान समझौते जापन के परिणामस्वरूप कोई आंच नहीं आएगी और इसके साथ ही पक्षों के बीच हस्ताक्षरित किन्हीं अन्य मान्य करारों या, या हस्ताक्षरित समझौता जापनों के परिणामस्वरूप होने वाली बाध्यकारिताओं पर भी कुप्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुच्छेद-3

नौवहन की स्वतंत्रता : अदेभाव न किया जाना

(1) पक्ष का जलयान इस बात के लिए पात्र होगा कि वह पक्ष के किसी भी उस क्षेत्र के पत्तनों में से किन्हीं के बीच समुद्री यात्रा कर सके जो कि पक्षों के क्षेत्रों के बीच अंतरराष्ट्रीय व्यापार

तथा यात्रियों और कार्गो को लाने ले जाने के लिए खुले हैं साथ ही इनमें से किसी के भी और तृतीय पक्षों के बीच वे आ जा सकते हैं बशर्त पक्षों की अंतर्देशीय विधि में यह विधिसंमत हो।

(2) दोनों पक्षों में विद्यमान विधान के प्रति बिना किसी पूर्वग्रह के दोनों पक्ष हर ऐसे कार्य से दूर रहेंगे जिसके कारण समुद्रीय परिवहन में पक्षों की नौवहन कंपनियों की निर्बाध प्रतिभागिता और भेदभाव न किए जाने के सिद्धांत में बाधा आती हो तथा मुक्त रूप से पूरा किए जाने और नौवहन कंपनी के मुक्त चयन की बात लागू होगी।

अनुच्छेद-4

समुद्रीय परिवहन उपलब्ध कराने के उपाय

(1) अपनी विधिक व्यवस्था के ढांचे के भीतर पक्ष वे समस्त आवश्यक उपाय करेंगे जिनसे कि समुद्रीय परिवहन उपलब्ध कराया जा सके और इसका संवर्द्धन किया जा सके ताकि जहाज के अनावश्यक रूप से लंबे समय तक खड़े रहने की स्थिति न आने पाए और इसे यथासंभव रूप से आसान और शीघ्रतापूर्ण किया जाए, पत्तनों में सीमाशुल्क तथा अन्य औपचारिकताओं का पालन किया जाए, साथ ही अपशिष्टों के निपटान हेतु विद्यमान संस्थापनाओं के प्रयोग हेतु उपलब्ध कराया जाए।

(2) दोनों पक्ष वचनबद्ध हैं कि वे वर्तमान समझौते के प्रवृत्त हो जाने के उपरान्त उन सभी एकपक्षीय, तकनीकी और प्रशासनिक उपायों का परिसमापन कर देंगे जिनके कारण अंतर्देशीय विधियों के अधीन अंतरराष्ट्रीय समुद्री परिवहन में निर्बाध सेवाएं प्रदान करने में बाधक और भेदभावकारी हो।

अनुच्छेद-5

जलयानों के प्रति समानता का व्यवहार

(1) दोनों में से प्रत्येक पक्ष अन्य पक्ष के जलयानों के इसके पत्तनों, संबंधित क्षेत्र के समुद्र, इसके अधिकार क्षेत्र के आने वाले समुद्र में हों तब यह उन्हें उसी तरह से संस्वीकृती प्रदान करेगा जिस तरह से की वहां इसने अंतरराष्ट्रीय समुद्रीय परिवहन में अपने स्वयं के जलयानों को लगाया होता। इस सिद्धांत का प्रयोजन निम्नोक्त तक सीमित है:

- पत्तनों में पहुँचना;
- कार्गो तथा यात्री परिवहन हेतु पत्तन सुविधाओं के प्रयोग के साथ-साथ अन्य सेवाओं तथा अन्य केन्द्रों में प्रवेश पाना तथा वहां से जाना।

(2) अन्य पक्ष के पत्तनों में पक्षों में से किसी एक के पोतों द्वारा भुगतान किए जाने वाले सभी शुल्क तथा सेवाओं हेतु व्यय तथा किन्हीं अन्य व्ययों का भुगतान अन्य पक्ष के यहां प्रवृत्त विधान के अनुसरण में किया जाएगा।

अनुच्छेद-6
वाणिज्यिक गतिविधियां

- (1) अन्य पक्ष की नौवहन कंपनियों को इनमें से प्रत्येक पक्ष इस बात का अधिकार प्रदान करेगा कि वे अभिकर्ता तथा अग्रेषक की सेवाओं को प्रयोग में लाने तथा इनका प्रयोग किए जाने के लिए अपनी स्वयं की शाखाएं इसके क्षेत्र में खोलकर इन्हें चला सके साथ ही इन प्रयोजनों हेतु प्रशासनिक, लिपिकीय तथा तकनीकी कार्मिकों को भर्ती कर सके।
- (2) मेज़बान पक्ष एक क्षेत्र में विदेशियों के आने तथा रहने को शासित करने वाली मेज़बान पक्ष की विधियां तथा अन्य विनियमों का पालन इन शाखाओं की स्थापना तथा कार्मिकों के नियोजन की प्रक्रिया के दौरान किया जाएगा।
- (3) इस अनुच्छेद के परिच्छेद (2) के प्रावधानों के अंतर्गत विदेशियों के आने, रहने तथा लौट कर जाने से संबंधित पक्षों के यहां प्रवृत्त अंतर्देशीय विधियां प्रयोजनीय रहेंगे।

अनुच्छेद-7
धनराशि का मुक्त अंतरण

- (1) पक्ष इस बात के लिए वचनबद्ध है कि वे मुद्रा को निर्बाध रूप से परिवर्तित किए जाने का प्राधिकार देंगे, अंतरराष्ट्रीय समुद्री परिवहन से संबंधित सविदाकारी पक्षों के नागरिकों तथा कंपनियों के बीच हर वर्तमान भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराएंगे जो कि यथाप्रयोजनीय रूप से संगत अंतर्देशीय विधि के अनुरूप वर्तमान समझौता जापन के प्रावधानों के अनुसरण में किए गए हों;
- (2) मेज़बान देश की विधियों के अनुसरण में स्थापित की गई कंपनियों में प्रत्यक्ष निवेश के रूप में पक्षों के नागरिकों और कंपनियों के बीच पूँजी का मुक्त आवागमन होगा; किए गए निवेश और ऐसे निवेशों का विदेश में अंतरण सुनिश्चित किया जाएगा।
- (3) इस समझौते जापन के उद्देश्यों के संवर्द्धन हेतु उनके बीच पूँजी की आवाजाही करवाने की दृष्टि से पक्ष परस्पर परामर्श करेंगे।

अनुच्छेद-8

- (1) वर्तमान समझौता जापन के प्रावधान निम्नोक्त प्रकार के जलयानों पर लागू नहीं होंगे;

- युद्ध पोत
- मात्स्यिकी जलयान
- अनुसंधान जलयान

- अन्य ऐसे जलयान जो वाणिज्योत्तर सार्वजनिक सेवा हेतु प्रयोग में लाए जाते हैं।

(2) राष्ट्रीय तटवर्ती नौचालन के साथ-साथ सालवेज, टोवेज, पाहलेटेज और हाइड्रोग्राफिक सेवाओं के संबंध में राष्ट्रीय ध्वज के विशेषाधिकार से संबंधित किसी भी पक्ष की विधियों और विनियमों पर वर्तमान समझौता जापान के कारण कोई ऑच नहीं आएगी।

अनुच्छेद-9

कानूनी प्रावधानों का अनुपालन

(1) अन्य पक्ष के क्षेत्र में होने के दौरान दोनों में से किसी भी पक्ष के जलयान के क्रू सदस्य वहां प्रवृत्त विधियों के अधीन होंगे।

(2) तटवर्ती अवकाश उत्प्रवासन, सीमाशुल्क, कराधान, और बीमारी के फैलने संबंधी रोकथाम के लिए व्यक्ति (या) को औरों से अलग रखे जाने सहित आयात, भंडारण तथा माल के निर्यात के साथ-साथ यात्रियों के आने, रहने तथा जाने को शासित करने वाले दोनों पक्षों के क्षेत्र में प्रवृत्त विधियों और विनियमों का अनुपालन यात्री तथा माल प्रेषक करेंगे।

अनुच्छेद-10

पोत के प्रलेख की पारस्परिक मान्यता

(1) अपने देश की विधि के अनुसरण में अन्य पक्ष के समय प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए जलयानों पर उपलब्ध प्रलेखों में यथाविनिर्दिष्ट अन्य पक्ष के जलयानों की राष्ट्रीयता को प्रत्येक पक्ष मान्यता देना।

(2) एक पक्ष द्वारा जारी या मान्यता प्राप्त पोत पर उपलब्ध अन्य प्रलेखों को पूर्व पक्ष के जलयानों के संबंध में अन्य पक्ष मान्यता प्रदान करेगा।

(3) दोनों पक्षों में से किसी भी पक्ष के जलयानों के पास पोतों के टनभार मापन पर अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन के अनुसरण में जारी किए गए जो टनभार मापन प्रमाण पत्र होंगे, अन्य पक्ष के पत्तनों में उन्हें फिर से मापा नहीं जाएगा।

(4) बशर्ते, बाद वाले पक्ष के पास उक्त प्रमाण पत्र की सटीकता पर पक्ष उठाने के उचित कारण हो तो निम्नोक्त प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जो है;

- इस तरह के संदेह के कारणों के बारे में जलयान पर फहर रहे ध्वज वाले देश को संबंधित पक्ष सूचित करेगा;
- जिस देश में पोतघाट स्थित है और जिसे संदेह है वहां के सक्षम प्राधिकारी को उस देश से संबंधित विधि के अनुसरण में या फिर आवश्यक हो तो पोतों के टनभार मापन

पर आइएमओ के अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन के अनुच्छेद 12 के अनुसरण में सर्वेक्षण को विदेश दिया जा सकता है।

(5) अन्य पक्ष द्वारा अपने कू के सदस्यों को सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए पहचान प्रलेखों को प्रत्येक पक्ष मान्यता देगा। जलयान की कू सूची को इस समझौता जापन के प्रयोजनों से ही मान्यता प्रदान की जाएगी, जब इसे जलयान के मास्टर द्वारा संबंधित पत्तन प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया हो, जिस समय अन्य पक्ष के किसी पत्तन पर जलयान पहुँचे या इसका आगमन हो इस तरह से जारी किए गए पहचान प्रलेखों को इसके बाद परिचय पत्र कहा गया है।

(6) बाद वाले देश की विधि के आधार पर और यथासंशोधित, समुद्रकर्मियों हेतु प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी के मानकों (एसटीसीडब्ल्यू 198/1995) पर अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन के अनुसरण में अन्य पक्ष द्वारा जारी किए गए या मान्यता दिए गए कू सदस्यों के सक्षमता प्रमाण पत्रों को प्रत्येक पक्ष मान्यता देगा।

अनुच्छेद-11

कू सदस्यों के यात्रा प्रलेख

(1) कू सदस्य चाहे वे इस समझौते जापन के पक्षों में से किसी देश के या किसी तीसरे देश के हों तो भी उनके यात्रा प्रलेख जो कि सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए हों उनका प्रयोग जिस देश की सीमा को पार किया जाना हो उस पक्ष की राष्ट्रीय पूर्वापेक्षाओं के अंतर्गत सीमा को पार करने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता हो, उन्हें सीमापार करने के प्रलेखों के रूप में अनुमत माना जाएगा। अंतरराष्ट्रीय समुद्रीय यात्राओं के लिए यात्रा के दौरान नाविकों हेतु प्राधिकृत अंतरराष्ट्रीय यात्रा प्रलेखों के रूप में मान्यता प्राप्त पासपोर्ट और सीमैन बुक/ वीजा मान्य होते हैं।

अनुच्छेद-12

जाना, गुजर के जाना और रहना

(1) प्रत्येक पक्ष अपने मेज़बान देश में प्रवृत्त विधियों और विनियमों के अनुसरण में अन्य पक्ष के जलयान के उन कू सदस्यों को अनुमति देगा जिनके पास इस समझौता जापन के अनुच्छेद-11 के आशय के भीतर सीमापार करने के लिए मान्य हो, कि वे तट पर जा सकें और उनके जलयान के वहां रहने के दौरान पत्तन वाले शहर में रुक सकें।

(2) जहाँ आवश्यक हो वहां किसी भी पक्ष का सक्षम प्राधिकारी अन्य पक्ष के जलयान के उन सदस्यों को वीजा जारी करेगा जिनके पास इस समझौते जापन के अनुच्छेद-11 के आशय में यथानिहित रूप से समीमा पार करने का मान्य प्रलेख हो जो कि मेज़बान देश में प्रवृत्त विधियों और विनियमों के अनुसरण में होगा।

- प्रत्यावर्तन के प्रयोजन से
- ताकि वे अपने पोत पर जा सकें या फिर किसी ऐसे जलयान पर जो कि पक्षों में से किसी एक द्वारा प्राधिकृत हों,
- किसी अन्य कारण से जिसे अन्य पक्ष के सक्षम प्राधिकारी

(3) दोनों में से किसी पक्ष के सक्षम प्राधिकारी अन्य पक्ष के जलयान के किसी उस कू सदस्य को अनुमति देते जो कि प्रथम पक्ष के क्षेत्र के अस्पताल में ले जाया गया हो यह अनुमति रोगी को भत्ता कर जब तक उसका उपचार किया जाता आवश्यक होगा तब तक बने रहने के लिए होगी।

(4) दोनों में से प्रत्येक पक्ष के पास यह अधिकार आरक्षित होगा कि वह अपने क्षेत्र में अवांछित व्यक्तियों के प्रवेश से इनकार कर सके भले ही ऐसे व्यक्तियों के पास इस समझौते जापन के अनुच्छेद-11 विनिर्दिष्ट प्रलेख हो।

(5) इनमें से प्रत्येक पक्ष यह परिवचन देता है कि वह प्रथम पक्ष के जलयान से अन्य पक्ष के क्षेत्र में बिना किसी औपचारिक के प्रवेश कर जाए या अन्य पक्ष के क्षेत्र में प्रवेश को शर्तों या प्रयोजनीय रूप से बने रहने की शर्तों पर खरा न उतरता हो तो उसे वापस ले लिया जाए।

(6) इनमें से किसी भी पक्ष के राजनयिक मिशनों के कर्मचारी और कन्सलर पदों के व्यक्ति साथ ही ऐसे पक्ष के जलयानों के कू के सदस्य मेज़बान देश में प्रवृत्त संगत विधियों और विनियमों की अनुपालना करते हुए परस्पर संपर्क करते एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए पात्र होंगे।

(7) उपर्युक्त परिच्छेद (1) से (6) के प्रावधानों के होते हुए विदेशियों के आने, रहने और जाने को शासित करने वाले पक्षों के विनियमों पर कोई आँच नहीं आएगी।

अनुच्छेद-13

समुद्र में होने वाली घटनाएं

(1) इनमें से किसी पक्ष का ध्वज फहराने वाला जलयान यदि चकनाचूर हो जाता है, जमीन में धंस जाता है या फिर अन्य पक्ष के समुद्रीय क्षेत्र में रहते समय किसी विपत्ति में फंस जाता है तो मेज़बान पक्ष के प्राधिकारी कू सदस्यों और इस जलयान के यात्रियों सहित जलयान और इसके कार्गो को उसी तरह से संरक्षण और सहायता प्रदान करेंगे जिस तरह से कि वह उनका अपना ध्वज जलयान रहा होता।

(2) गत परिच्छेद के निहितार्थ के भीतर समुद्रीय अपघात होने की दशा में इनमें से दोनों ही पक्ष आयात ड्युटी और अंतर्देशीय कर जलयान के कार्गो या उपकरण सामग्री, खाद्य सामग्री या

उससे संबंधित उसके किसी भाग पर नहीं लगाएगा जब तक कि ऐसा सामान संबंधित पक्ष के क्षेत्र में प्रयोग में लाया जाता हो या इसका उपयोग किया जाता हो और उस पक्ष की सीमाशुल्क विधि में विहित समयावधि के भ्रंश अन्वय पक्ष को पुनः निर्यात किया जाता हो। इस समुद्रीय अपघात के बारे में अविलंब सक्षम सीमाशुल्क शाखा कार्यालय को सूचित किया जाएगा।

(3) दोनों पक्ष इस बात में सहयोग करने का वचन देते हैं कि अनुरोध करने पर और अंतरराष्ट्रीय समुद्रीय संसंगठन अपघात अन्वेषण संहिता की दृष्टि से उत्तरदायी पाए गए पक्षों में से कम से कम एक उन समुद्रीय अपघातों के अन्वेषण हेतु उत्तरदायी हो वह समुद्रीय पर्यावरण की जलयान सुरक्षा और संरक्षण को संबंधित करने के अपने संबंधित राष्ट्रीय कानूनी प्रावधानों द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रक्रिया के अनुसरण में सहयोग करेंगे।

अनुच्छेद-14

सहयोग

दोनों ही पक्षों के देश नौवहन कंपनियों और समुद्रीय संस्थानों को प्रोत्साहित करेंगे कि वे सहयोग के समुचित रूपों की अपेक्षा और इनका विकास करेंगे। यह विशेष रूप से तकनीकी मामलों और विशेषज्ञों के प्रशिक्षण पर लागू होगा।

अनुच्छेद-15

परामर्श

(1) इनमें से कोई पक्ष या इनका सक्षम समुद्रीय प्राधिकारी किसी भी समय अनुरोध कर सकता है कि वह अन्य पक्ष या इसके समुद्रीय प्राधिकारी में कार्यकारी दौरा कर सके या परामर्श कर सके।

(2) इनमें से किसी पक्ष या इसके समुद्रीय प्राधिकरण द्वारा इस तरह के किसी कार्यकारी दौरे या परामर्श का अनुरोध ऐसी अवधि के भीतर आरंभ होना चाहिए जो कि इस अनुरोध की प्राप्ति के उपरांत नब्बे (90) दिन से अधिक का समय गुजरने न पाए।

अनुच्छेद-16

विवादों का निपटान

(1) वर्तमान समझौते जापान की व्याख्या या इसके प्रयोग के संबंध में पक्षों के बीच यदि कोई विवाद होता है तो पक्ष इस विवाद को परामर्श हेतु अनुरोध के उपरांत अपने समुद्रीय प्राधिकरण के बीच बातचीत कर सौहार्दपूर्ण रीति से इस विवाद को निपटा लेंगे।

(2) पक्ष आरबीट्रेशन न्यायालय स्थापित किए जाने पर सहमत हो सकते हैं।

अनुच्छेद-17

प्रवृत्त होना

वर्तमान समझौता जापन उस दिन से प्रवृत्त होगा जब पक्ष एक दूसरे को यह अधिसूचित कर दे कि उनसे संबंधित रूप से उसे प्रवृत्त किए जाने हेतु उनकी संबंधित राष्ट्रीय पूर्वापेक्षाएं पूरी कर ली गई हैं। संगत तिथि वह दिन होगा जिस दिन अंतिम अधिसूचना प्राप्त हुई।

अनुच्छेद-18

समझौता जापन, संशोधनों और समापन की अवधि


(1) यह समझौता जापन प्रारंभिक रूप से पाँच (5) वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा फिर उसके बाद आगामी एक (1) वर्ष की अवधियों हेतु अपने आप तब तक नवीकृत होता रहेगा जब तक कि इस समझौते जापन को समाप्त करने की उपजी मंशा की सूचना राजनयिक माध्यम से लिखित रूप में छह(6) महीने पहले न दे दी जाए।

(2) परामर्श के अनुरोध के उपरांत दोनों में से कोई पक्ष वर्तमान समझौते जापन में संशोधनों का प्रस्ताव रख सकता है।

(3) इनमें से कोई भी पक्ष किसी भी समय वर्तमान समझौते जापन को समाप्त किए जाने संबंधी अपने निर्णय की सूचना अन्य पक्ष को दे सकता है, ऐसी दशा में अन्य पक्ष द्वारा इस अधिसूचना की प्राप्ति के छह(6) मास उपरांत यह समझौता जापन तब तक प्रभावहीन रहेगा जब तक कि उक्त अवधि के समाप्त होने से पहले इस समापन को हटा न लिया जाए।

इसके साक्ष्य में, अधोहस्ताक्षरियों ने अपनी-अपनी सरकार द्वारा विधिवत प्राधिकृत होकर हिंदी, अंग्रेजी और अरबी भाषाओं की दो मूल प्रतियों में इस करार पर हस्ताक्षर करके इस पर मोहर लगाई है। सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। अनुवाद में भिन्नता होने पर अंग्रेजी पाठ अधिसाध्य होगा।

25 जनवरी 2017 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित किया गया।



भारत गणराज्य की सरकार
की ओर से



संयुक्त अरब अमीरात की
सरकार की ओर से

مذكرة تفاهم

بين

حكومة جمهورية الهند

و

حكومة دولة الامارات العربية المتحدة

في

للتعاون المؤسسي في مجال النقل البحري

ترغب كل من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية الهند في توقيع "مذكرة تفاهم" التالية للتعاون في مجال النقل البحري، وذلك دون الإخلال بالتشريعات القائمة لكلا الطرفين والتزاماتهما بإعطاء التطبيق الكامل للاتفاقيات الدولية النافذة

مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح المشتركة لكلا الطرفين ورغبة منها في توفير أساس قانوني لعلاقات التبادل التجاري من خلال النقل البحري من أجل ضمان حرية التجارة الخارجية وتعزيز التعاون في هذا المجال إلى أقصى درجة ممكنة، وكذلك في خدمات النقل البحري الدولي. وإدراكاً بأن التبادل الثنائي للبضائع يجب أن يترافق مع تبادل الخدمات الفعال القائم على مبدأ المنافسة العادلة في توفير الخدمات؛

وللمرجعية في الاتفاقيات الدولية لسلامة الملاحة، وتسهيل النقل البحري الدولي، وظروف المعيشة والعمل، وكذلك تعليم وتدريب البحارة، نقل البضائع الخطرة، وحماية البيئة البحرية من بين المفاهيم الأخرى؛

فقد اتفقا على ما يلي:

المادة 1

التعريف

لأغراض هذه المذكرة، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك:

1. "مفينة الطرف المتعاقد" تعني أية سفينة وفقاً للوائح القانونية لذلك الطرف، تم تسجيلها وترفع علمه وذلك باستثناء السفن المذكورة في المادة رقم (8) من هذه المذكرة. كما تعتبر لأغراض هذه المذكرة، أي

Memorandum of Understanding (MoU)

Between

The Directorate General of Shipping

in the Republic of India

and

The Federal Transport Authority - Land & Maritime

in the United Arab Emirates

On the mutual recognition of certificates of competency as per the provisions of the Standards of Training, Certification and Watchkeeping Convention (STCW78) and amendments thereof.

First Party:

Directorate General of Shipping, Republic of India having its Head Office in Mumbai. It is responsible for regulating the maritime transport in Republic of India.

Second Party:

Federal Transport Authority - Land & Maritime having the head office in Abu Dhabi. P.O. Box 900. It is a federal independent authority that regulates the land and maritime transport in the United Arab Emirates. It also represents UAE in international agreements, conventions and meetings as per the decrees and decisions issued in this regard.

Preamble:

Without violating the regulations or laws of the two parties, this MoU aims to deepen the economic and trade relations in general, and to establish the basics of cooperation in the maritime and trade field in particular. Moreover, it also aims to take the steps necessary to ensure that marine officers, engineers and crews have the competency to carry out their duties appropriately. Seeking the optimal standards of life and property safety through implementing

the provisions of Regulation No. (10/I) and Circulation No. MSC/Circ950 issued on May 30, 2000 by IMO Maritime Safety Committee on mutual recognition of certificates of competency, it was agreed on the following:

Article (1)

The above mentioned preamble shall be part and parcel of this MoU, and shall be read and construed therewith.

Article (2)

Interpretations

While implementing the provisions of this MoU, the following words shall have the meanings ascribed thereto hereunder:

1. Certificate : It means the certificate of competency issued as per the provisions of the convention authorizing the holder to work and to earn out the relevant duties aboard the ship identified in that certificate.
2. Department : It means the authority that is approved by the local laws to recognize the certificates issued by the competent authority of issuing certificates.
3. Issuing Party : It means the competent authority that is officially approved by the local laws to issue maritime certificates as per the Standards of Training, Certification and Watch keeping for Seafarers Convention (STCW 78) and amendments.
4. Authorized Official : He is the person responsible for implementing this MoU.
5. Convention : It means the Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers Convention (STCW 78) and amendments.

Article (3)

Recognition of Certificates

Pursuant to Section (A) of the Regulation No. (10/I) of the Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers Convention (STCW 78) and amendments, the Department undertakes

to recognize and acknowledge the certificates issued by the issuing party after meeting to the following conditions:

- A) Training, qualifying and evaluating seafarers as per the provisions of Section (6/1) of the Convention.
- B) Registering the issued certificates in a special record.
- C) Upon its request, the Department shall be allowed to visit the facilities of the issuing party of certificates to make sure of the relevant procedures as per the provisions of the Regulation No. (60/I-A) of the Convention in order to check:
 - a) Standards of competency.
 - b) Registering certificates of competency.
 - c) Issuing, renewing and cancelling certificates of competency.
 - d) Standards of physical fitness for the certificates of competency holders.
 - e) Applied methods of sharing details about the validation of certificates.
- D) The Department of the issuing party of certificates shall within (60) days inform the other party of any amendment introduced to the training system and the procedures of certificate issuance as well as any amendment that might substantially change the details sent to the IMO General Secretariat as per the provisions of Section (7/A1) of the Convention.
- (E) The quality standards shall be in accordance with the provisions of Regulation No. (8/I) of the Convention.

Article (4)

Check Procedures

1. The Department shall be entitled to check the validation and content of certificates issued by the issuing party as per the provisions of Regulation No. (5/I) of the Convention.
2. The authorized official shall be entitled to ask the authorized official working for the issuing party of certificates to submit more details including the validation of certificates through written or electronic methods provided that the request shall be include:
 - a) Full name, date of birth and nationality.
 - b) Degree of certificate, rank, official number and date of issuance mentioned in the said request.

3. The authorized official working for the issuing party of certificates should reply in writing or electronically within (2) business days and (4) business days at the maximum.

Article (5)

Suspending, Withdrawing or Cancelling Acknowledgement

The issuing Department of acknowledgements shall undertake to inform the issuing party of certificates when it suspends, withdraws or cancels its acknowledgement of the certificate of competency identifying the reasons behind that within (5) business days from the date of suspension, withdrawal or cancellation.

Article (6)

This MoU shall not be deemed a legal binding contract: accordingly, the two parties hold no financial or legal liabilities.

Article (7)

The correspondences between the two parties shall be in writing and addressed to:

- Federal Transport Authority - Land & Maritime, Abu Dhabi, P.O. Box 900 or Fax No. 0097124495066, att. General Manager.
- The Directorate General of Shipping, Republic of India
Address: Directorate General of Shipping, Ministry of Shipping, Government of India, "Beta Building", 9th Floor, i-Think Techno Campus, Kanjur Village Road, Kanjur Marg (East), Mumbai - 400042, India, E-mail: dgship-dgs@nic.in, Fax No: +91-22-25752011.

Article (8)

Validity, Amendment and Termination of MOU

- 1) This MoU shall come into force as of the date of signature until any of the two contracting parties informs the other party in writing of its interest to terminate this MoU (60) days after the date of notification.
- 2) It shall be allowed to amend this MoU in writing upon the request of any party and after having the consent of the other one. The amendment shall come into force as of the date the two parties set their hands thereunto.

Article (9)
Final Provisions

- 1) Each party shall follow the necessary' legal procedures applicable in its state.
- 2) This MoU shall be valid for five years, and shall be automatically renewable for the same period/periods unless any of the parties informs in writing the other party that it has no intention of renewing this MoU six months before the date of expiry identifying the reasons behind cancellation.
- 3) Any dispute resulting out of implementing or interpreting this MoU shall be settled through holding negotiations between the two parties.

In witness thereof the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed and sealed this MoU in two originals each in English, Hindi and Arabic languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

Done at New Delhi on 25 January, 2017.



**For the Government of
the Republic of India**



**For the Government of
the United Arab Emirates**

प्रशिक्षण, प्रमाणन तथा निगरानी कन्वेंशन (एसटीसीडबल्यू 78)

तथा

उसके संशोधनों के प्रावधानों के अनुसार सक्षमता

के प्रमाण पत्रों की पारस्परिक मान्यता पर

नौवहन महानिदेशालय, भारत गणराज्य

तथा

संयुक्त अरब अमीरात की फेडरल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी- भूमि और नौवहन

के बीच

समझौता ज्ञापन (एमओयू)

.....

प्रथम पक्ष :

नौवहन महानिदेशालय, भारत गणराज्य का प्रधान कार्यालय, मुंबई में स्थित है। यह भारत गणराज्य में समुद्रीय परिवहन को विनियमित करने के लिए उत्तरदायी है।

द्वितीय पक्ष :

फेडरल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी - भूमि प्राधिकरण एवं नौवहन का प्रधान कार्यालय आबू धाबी में पीओ बॉक्स 900, है। यह एक स्वतंत्र फेडरल प्राधिकारी है जो संयुक्त अरब अमीरात में भूमि और समुद्री परिवहन को विनियमित करता है। यह इस संबंध में जारी डिक्रियों तथा निर्णयों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय करारों, कन्वेंशनों और बैठकों में यूएई का प्रतिनिधित्व भी करता है।

प्रस्तावना :

दोनों पक्षों के विनियमों या विधियों का उल्लंघन किए बिना इस समझौता ज्ञापन का लक्ष्य यह है कि सामान्य रूप से आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ किया जाए और विशेष रूप से नौवहन तथा व्यापार में आधारभूत सहयोग स्थापित किया जाए। इसके अलावा इसका लक्ष्य यह भी है कि यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं कि समुद्री अधिकारी, इंजीनियर और कर्मीदल इतने सक्षम हों कि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन समुचित रूप से कर सकें। सक्षमता प्रमाण पत्रों की पारस्परिक मान्यता पर आईएमओ समुद्रीय सुरक्षा समिति द्वारा मई 30, 2000 को जारी विनियम संख्या (10/1) और परिपत्रण संख्या एमएससी/ परिपत्र 950 के प्रावधानों का कार्यान्वयन

कर जीवन तथा संपत्ति की सुरक्षा के इष्टतम मानकों हेतु निम्नोक्त पर सहमति जताई गई।

अनुच्छेद (1)

उपर्युक्त प्रस्तावना इस समझौते जापन का अभिन्न अंग होगी तथा इसे इसके साथ पढ़ा और समझा जाएगा।

अनुच्छेद (2)

व्याख्याएं

इस समझौते जापन के प्रावधानों को कार्यान्वित करते समय निम्नोक्त शब्दों के अर्थ नीचे लिखे अनुसार होंगे:

1. प्रमाण पत्र : इसका अर्थ उस सक्षमता प्रमाणपत्र से होगा जो कि उस कन्वेंशन के प्रावधानों के अनुसार जारी किया गया होगा जो कि इसके धारक को इस प्रमाण पत्र में बताए अनुसार कार्य करने तथा संगत कर्तव्यों का निर्वहन करने का प्राधिकार देता हो।
2. विभाग : इसका अर्थ उस प्राधिकरण से है जो कि स्थानीय विधियों द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्रों को मान्यता प्रदान करे।
3. जारी करने वाला पक्ष : इसका अर्थ उस सक्षम प्राधिकारी से होगा जो कि समुद्रकर्मियों हेतु प्रशिक्षण, प्रमाणन तथा निगरानी के मानकों के कन्वेंशन (एसटीसीडबल्यू) और संशोधनों के अनुसार समुद्रीय प्रमाणपत्रों को जारी करने के लिए आधिकारिक रूप से अनुमोदित हो।
4. प्राधिकृत अधिकारी : यह व्यक्ति इस समझौता जापन का कार्यान्वयन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
5. कन्वेंशन : इसका अर्थ समुद्रकर्मियों हेतु प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी के मानक (एसटीसीडबल्यू) और संशोधन होगा।

अनुच्छेद (3)

प्रमाण पत्रों की मान्यता

समुद्रकर्मियों हेतु प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी के मानकों के कन्वेंशन (एसटीसीडबल्यू 78) और संशोधनों के विनियम संख्या (10/1) की धारा (क) के अनुसरण में, विभाग निम्नोक्त शर्तों पर खरा उतरने के पश्चात् जारी करने वाले पक्ष द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों को मान्यता प्रदान करता है तथा एतदसंबंधी अभिस्वीकृति प्रदान करता है :

क) कन्वेंशन की धारा (6/1) के प्रावधानों के अनुसार समुद्रकर्मियों का प्रशिक्षण, उनकी योग्यता तथा उनका मूल्यांकन।

ख) विशेष अभिलेखों में जारी किए गए प्रमाणपत्रों को पंजीकृत किया जाना।

ग) इसके अनुरोध पर, विभाग को अनुमति होगी कि वह प्रमाणपत्रों को जारी करने वाले पक्ष के केन्द्रों पर जाएं और यह सुनिश्चित करे कि कन्वेंशन के विनियम संख्या (60/1क) के प्रावधानों के अनुसार संगत प्रक्रियाओं का पालन किया गया है ताकि इन्हें जांचा जा सके।

1. सक्षमता के मानक
2. सक्षमता प्रमाण पत्रों को पंजीकृत करना
3. सक्षमता प्रमाण पत्रों को जारी करना, इनका नवीकरण किया जाना तथा इन्हें निरस्त किया जाना।
4. सक्षमता प्रमाण पत्र धारकों हेतु शारीरिक योग्यता के मानक
5. प्रमाण पत्रों के मान्य होने के बारे में विवरण दिए जाने के अनुप्रयुक्त तरीके।

घ) प्रमाणपत्रों को जारी करने वाले पक्ष का विभाग (60) दिन के भीतर अन्य पक्ष को उस हर संशोधन की जानकारी देगा जो कि प्रशिक्षण प्रणाली और प्रमाण पत्र जारी किए जाने की प्रक्रियाओं में किया गया होगा साथ ही उस हर संशोधन की जानकारी देगा जिनके कारण कन्वेंशन की धारा (7/क 1) के प्रावधानों के अनुसार आईएमओ के महा सचिवालय को भेजे गए विवरणों में भारी परिवर्तन हो सकता हो।

च) गुणवत्ता मानक कन्वेंशन के विनियम संख्या (8/1) के प्रावधानों के अनुसरण में होंगे।

अनुच्छेद (4)

जाँच प्रक्रियाएं

1. विभाग कन्वेंशन के विनियम संख्या (5/1) के प्रावधानों के अनुसार जारी करने वाले पक्ष द्वारा जारी किए प्रमाणपत्रों की मान्यता तथा इनमें निहित बातों को जांचने हेतु पात्र होगा,
2. प्राधिकृत अधिकारी इस बात के लिए पात्र होगा कि वह प्रमाण पत्र जारी करने वाले पक्ष के लिए कार्य करने वाले प्राधिकृत अधिकारी से लिखित या इलेक्ट्रॉनिक तरीकों

के माध्यम से प्रमाण पत्रों की मान्यता सहित और विवरण मांग सके बशर्ते अनुरोध में यह शामिल हो :

क) पूरा नाम, जन्मतिथि तथा राष्ट्रीयता।

ख) प्रमाण पत्र की डिग्री, रैंक, अधिकारिक संख्या और उक्त अनुरोध में उल्लिखित जारी किए जाने की तारीख।

3. प्रमाण पत्रों को जारी करने वाले पक्ष के लिए कार्य करने वाले प्राधिकृत अधिकारी को चाहिए कि वह लिखित या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से (2) कार्य दिवसों और अधिकतम (4) कार्य दिवसों के भीतर दे दें।

अनुच्छेद (5)

अभिस्वीकृति को निलंबित करना, वापस लेना या इसे निरस्त किया जाना।

अभिस्वीकृतियों को जारी करने वाला विभाग प्रमाणपत्रों को जारी करने वाले पक्ष को सक्षमता प्रमाण पत्रों की अपनी अभिस्वीकृतियों को निलंबित किए जाने, वापस लिए जाने या निरस्त किए जाने पर इनके निलंबन, वापस लिए जाने या निरस्त किए जाने के बारे में (5) कार्य दिवसों के भीतर सूचित करेगा।

अनुच्छेद (6)

इस समझौता ज्ञापन को कानूनी बाध्यकारी संविदा नहीं माना जाएगा। तदनुसार, दोनों पक्षों पर कोई वित्तीय कानूनी दायित्व नहीं होगा।

अनुच्छेद (7)

दोनों पक्षों के बीच पत्राचार लिखित रूप में होंगे तथा इन्हें प्रेषित किए जाएंगे।

- फेडरल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी - भूमि और नौवहन, आवू धावी, पीओ बॉक्स 900 या फैक्स नंबर 0097124495066, महाप्रबंधक।
- नौवहन महानिदेशालय, भारत गणराज्य
पता : नौवहन महानिदेशालय, पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार, बीटा बिल्डिंग,
9वीं मंजिल, आईथिंक टेक्नो कैंपस, कांजुरगाँव मार्ग, कांजुरमार्ग (पूर्व) मुंबई-
400042, भारत, ई-मेल : dgship-dgs@nic.in.
फैक्स नंबर : +91-22-25752011

अनुच्छेद (8)

समझौते जापन की मान्यता, संशोधन और इसका समापन

यह समझौता जापन इस पर हस्ताक्षर होने की तारीख से तब तक मान्य रहेगा जब तक कि दोनों संविदाकार पक्षों में से कोई पक्ष दूसरे पक्ष को अधिसूचना की तारीख से (60) दिनों में इसे समाप्त करने की लिखित रूप में अपनी इच्छा न जताए।

- 1) इस समझौता जापन में संशोधन किया जाना किसी पक्ष द्वारा लिखित रूप में अनुरोध किए जाने पर अनुमत होगा और तब जब अन्य पक्ष की इस बात पर सहमति हो। संशोधन उसी दिन से लागू होगा जिस दिन दोनों पक्ष परस्पर इस हेतु सहमत होंगे।

अनुच्छेद (9)

अंतिम प्रावधान

- 1) प्रत्येक पक्ष अपने यहां प्रयोजनीय आवश्यक विधिक प्रक्रियाओं का पालन करेगा।
- 2) यह समझौता जापन 5 साल तक मान्य रहेगा और यह अपने आप ही इस अवधि/अवधियों हेतु तब तक नवीकृत होता रहेगा जब तक कि एक पक्ष दूसरे को यह सूचित न कर दे कि इस समझौता जापन को नवीकृत किए जाने की अब उसकी मंशा नहीं है, इसे निरस्त किए जाने के पीछे बताए जाने वाले कारण इसकी समापन तिथि से 6 महीने पहले बता दिए जाए।
- 3) इस समझौता जापन को कार्यान्वित करने या इसकी व्याख्या करने के परिणाम स्वरूप कोई विवाद होता है तो इसका निपटान दोनों पक्ष मिल बैठ कर कर लेंगे।

इसके साक्ष्य में, अधोहस्ताक्षरियों ने अपनी-अपनी सरकार द्वारा विधिवत प्राधिकृत होकर हिंदी, अंग्रेजी और अरबी भाषाओं की दो मूल प्रतियों में इस करार पर हस्ताक्षर करके इस पर मोहर लगाई है। सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। अनुवाद में भिन्नता होने पर अंग्रेजी पाठ अधिमान्य होगा।

25 जनवरी 2017 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित किया गया।



भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से



संयुक्त अरब अमीरात की
सरकार की ओर से

